(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2015

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2015/00075

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (मृतक)

1/1 श्री छीतरलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

1/2 कन्याबाई पुत्री परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2– अनुपरिथत (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 09.07.2024

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत अप्रार्थी मदनलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां आवंटन आदेश दिनांक 12.02.1970 से वाके ग्राम हरनावदी जागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 162/131 रकबा 02 बीघा भूमि आवंटन की गई। आवंटी ने उक्त आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं किया। उक्त आवंटन आदेश निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया और उनको जरिये सम्मन तलब किया गया। उनकी तलबी नहीं होने पर प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी को तहसीलदार, छीपाबड़ौद को अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी अखबार में साया के माध्यम से करवाए जाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1187 दिनांक 18.06.2024 के संलग्न अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी दिनांक 13.06.2024 को हुक्मनामा समाचार पत्र संस्करण में प्रकाशित करवा दी गई है। अप्रार्थी के कायम मुकामान इस न्यायालय में अनुपरिथत रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि तहसील हाजा के ग्राम हरनावदीजागीर की आराजी खसरा नं. 162/131 रकबा 02 बीघा भूमि मदनलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को दिनांक 12.02.1970 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी का आज तक भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.02.1970 निरस्त फरमावें।

प्रकरण में एकपक्षीय पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद का कथन है कि तहसील हाजा के ग्राम हरनावदीजागीर की आराजी खसरा नं. 162/131 रकबा 02 बीघा भूमि मदनलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को दिनांक 12.02.1970 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी का [illegible] भूमि पर कब्जा नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्थान सरकार [illegible]लदार छीपाबडौद द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 [illegible] किया जाता है। अप्रार्थी मदनलाल पुत्र परसराम जाति चमार निवासी नलखेडी तहसील छीपाबड़ौद [illegible] आवंटन आदेश दिनांक 12.02.1970 से ग्राम हरनावदी जागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 162/131 रकबा 02 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किए जाने से उक्त आवंटन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **09.07.2024** को मेरे द्वारा खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ